

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला केकडी

राजस्व वाद 27/2024(2024/)

1. श्री लाडकंवर पत्नि मुकेश पंवार जाति खटीक निवासी बघेरा तहसील केकडी जिला केकडी।

—प्राथी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

— अप्राथीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपरिस्थित:-

प्राथी वकील :- श्री अनुराग पाण्डेय व श्री रामफूल

पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 01/5/2024

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्राथीगण द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
141-214	157	0.01	गै.मु.चाह
	158	1.61	नहरी 1
	कुल किता 2	कुल रकबा 1.62 हैक्टर	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्राथीगण की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमें प्राथीगण बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्राथीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्राथीगण पत्र में वर्णित आराजीयात प्राथीगण के नाम बतोर खातेदार काश्तकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्राथीगण द्वारा अपने कृषि आराजीयात में सुधार कार्य व तारबंदी करवाना चाहते है जिसके लिए खातेदारी से स्थायी पत्थरगढी होकर सीमांकन हो जावे तो खेत पडोस व अन्य खातेदार से किसी प्रकार विवाद नही हो इसलिए प्राथीगण अपने कृषि आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्राथीगण ने अप्राथी के कार्यालय में दिनांक 1.1.24 को उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो अप्राथी ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्राथीगण पत्र में वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है जिससे की अन्य खातेदारो व अन्य पडोसीयो से किसी प्रकार का मौके पर विवाद उत्पन्न नही हो। इसलिए आराजी की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः स्थायी पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्राथीगण को नोटिस तलब किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमें बताया एल.आर एक्ट व नियमानुसार पत्थर गढी किये जाने में कोई आपत्ति नही है। अतः की बहस सुनी गई।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्राथीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि.

21
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 141-214 के खसरा संख्या 157,158 रकबा 0.01, 1.61 हैक्टर कुल किता 2, कुल रकबा 1.62 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




(सुभाष चन्द्र हेमानी)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी